

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,

(ब्लाक-2, भूतल, इंद्रावती भवन)

छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर

फोन नं. 0771-2331317 फैक्स 0771-2221627

क्रमांक/१४९१/आसांसं/नि.स./2021

रायपुर, दिनांक ३१/०३/२०२१

प्रति,

उपसंचालक /

जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी
जि.यो.सां.कार्यालय.....समर्पित.....


विषय:— 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का अभिलेख।

—००—

क. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के क्षेत्रीय जिला कार्यालयों व विकासखंडों में पदस्थ, सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का अभिलेखन किया जाना है, जिसके लिये रिक्त प्रपत्र एवं गोपनीय प्रतिवेदन अभिलेखन की निर्धारित प्रक्रिया/प्रणाली विभागीय वेबसाईट descg.gov.in में अपलोड है। अतः निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालयों को अग्रेषित किया जावे।

1. उपसंचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदन के प्रपत्र भाग एक तथा दो की पूर्ति कर दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक संबंधित कलेक्टर की ओर प्रेषित कर संचालनालय को अवगत करावें। साथ ही संबंधित कलेक्टर से गोपनीय प्रतिवेदन के भाग तीन व चार में अभिमत अंकित करने के उपरांत सीधे संचालनालय भिजवाने हेतु निवेदन करें।
2. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, अपने कार्यालय के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गोपनीय प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से लिखकर सीधे संचालनालय को दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक पंजीकृत डाक से अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।
3. ऐसे अधिकारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अथवा संलग्न है, गोपनीय प्रतिवेदन उस विभाग के नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस संचालनालय को दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक पंजीकृत डाक से अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।
4. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिकाओं में पदस्थ कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी से प्राप्त करेंगे तथा उन पर अपना अभिमत अंकित करने के उपरांत संचालनालय को 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
5. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य देखने का अनुभव तीन माह का नहीं है, तथा प्रभारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, कार्यालय में पदस्थ किसी भी कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखेंगे। ऐसी स्थिति में गोपनीय प्रतिवेदन तत्कालीन अधिकारी अथवा आहरण, संवितरण एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिखी जावेगी।

6. खंड स्तर अन्वेषकों से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग एक व दो की पूर्ति करवाकर भाग तीन व चार में विकासखंड अधिकारी का अभिमत प्राप्त करें तथा (समीक्षक अधिकारी के रूप में) अपना मत अंकित कर गोपनीय प्रतिवेदन 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा संचालनालय को प्रेषित करें।
7. राज्य शासन के निर्देशानुसार जो अधिकारी अपने मूल पद के साथ उच्चतर पद पर चालू कार्यभार सम्हालने के लिए अधिकृत किये गये हैं, वे अपने मूल पद के समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय प्रतिवेदन में अपने अभिमत अंकित नहीं करेंगे।
8. प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) तृतीय अनुसचिवीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु भरे जाने वाले गोपनीय गोपनीय प्रतिवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट में अपलोड है। निर्धारित प्रपत्र में ही गोपनीय प्रतिवेदन भरना सुनिश्चित करें।
- ख. राज्य शासन के निर्देशानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय कर्मचारी को आबंटित कार्यों को दृष्टिगत रखा जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन पर अपना अभिमत अंकित करने हेतु अधिकृत नहीं है।
- ग. गोपनीय प्रतिवेदन अपने अधीनस्थों पर दबाव बनाये रखने के लिए हथियार के रूप में उपयोग न किया जावे वरन् प्रतिवेदन में टीप गुण-दोष के आधार पर टीप अंकित की जावे, जिसे बाद में प्रमाणित/सिद्ध भी किया जा सके।
- घ. अतः गोपनीय प्रतिवेदन का अभिलेखन करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों, प्रणाली एवं निर्धारित समयावधि का विशेष ध्यान रखा जावे। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित समय सारणी के अनुसार न लिखे जाने पर, इस आशय की प्रविष्टि उनके गोपनीय प्रतिवेदन में की जायेगी। त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण व असावधानी से अभिलिखित गोपनीय प्रतिवेदन को गंभीरता से लिया जावेगा। समस्त गोपनीय प्रतिवेदन शील्ड लिफाफे में पंजीकृत डाक से : संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इंद्रावती भवन, भूतल, ब्लाक-2, नवा रायपुर अटल नगर की ओर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- ङ. पूर्व वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन समय यह पाया गया कि अधिकांश जिला अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन के भाग 3 एवं भाग 4 में पूर्ण टीप/मतांकन नहीं करते। अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-3 एवं भाग-4 के सभी बिंदुओं की पूर्ति की करने का कष्ट करें।



अपर संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
८० छत्तीसगढ़, रायपुर